रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1987/श्रावण 5, 1909
No. 390] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1987/SRAVANA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1987

अधिसूचना

सा० का० नि० 675 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अधिनियम, 1956 (1956 का का 61) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये 24 जुलाई, 1987 को प्रवृत्त होंगे।

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 के (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है (नियम 2 में :—

(1) खण्ड (घ) में, "अधिनियम की धारा 6" शब्द और अंक के स्थान पर "धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ग)" शब्द, अंक, कोष्ठक और और अक्षर रखे जाएंगे;

(2) खण्ड (छ) का लोप कर दिया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 3 और नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"3. भौगोलिक परिक्षेत्र :—अधिनियम की धारा 4 की की उपधारा 2 के खण्ड (क) में उल्लिखित देश के छह भौगोलिक परिक्षेत्र निम्नलिखित होंगे :—

(i) उत्तरी परिक्षेत्र :—हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब,

राजस्थान राज्य तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र

(ii) पूर्वोत्तर परिक्षेत्र :—असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य;

(iii) मध्य परिक्षेत्र :— मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य;

(iv) पूर्वी परिक्षेत्र :— बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, और सिक्किम राज्य;

(v) पश्चिमी परिक्षेत्र :—गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा दमण दीव और दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र;

(vi) दक्षिणी परिक्षेत्र :—आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र ।

4. सदस्य क्या पूर्णकालिक या अंशकालिक होंगे:—भौगोलिक परिक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अध्यक्ष को छोड़कर, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन नियुक्त सदस्य अंशकालिक होंगे। इसके खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किसी सदस्य को सरकार द्वारा अंशकालिक या पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 5 का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. सदस्यों को देय वेतन या मानदेय और भत्ता :—(1) अध्यक्ष और अन्य (पूर्णकालिक और अंशकालिक) सदस्यों की जिनके अंतर्गत वित्तीय सलाहकार और मुख्य कार्यपालिक अधिकारी नहीं हैं, आयोग की निधियों में से ऐसा वेतन या मानदेय और भत्ता दिया जायेगा जो सरकार समय-समय पर नियत करे।

(2) आयोग का अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्य (जिनके अन्तर्गत वित्तीय सलाहकार और मुख्य कार्यपालिक अधिकारी नहीं है, आयोग के अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए या आयोग द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए की गई यात्राओं के लिए यात्रा और दैनिक भत्ते श्रेणी, I के सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय उच्चतम दर पर, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार लेने के भी हकदार होंगे।

(3) अध्यक्ष किराए का संदाय किए बिना सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा।

(4) उपरोक्त उपनियम (1) उपनियम (2) और उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जिसके अन्तर्गत वित्तीय सलाहकार और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं है, जो संसद या राज्य विधान-मण्डल का सदस्य है, यथास्थिति संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खण्ड (क) में परिभाषित भत्ते से भिन्न या उस भत्ते से भिन्न, यदि कोई हो, जो उस राज्य के विधान-मंडल का कोई सदस्य, राज्य विधान-मण्डल की सदस्यता के लिए निरर्हता के निवारण के संबंध में राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, ऐसी निरर्हता उपगत किए बिना प्राप्त कर सकेगा, किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।"

6. उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7क. नियुक्त करने की शक्ति :—आयोग ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझे :—

परन्तु आयोग द्वारा कोई भी ऐसा अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिसका मूल वेतन पांच हजार रुपए प्रति मास से अधिक हो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नियुक्त नहीं किया जाएगा।"

7. उक्त नियमों के नियम 8 का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 9क में, :—

(i) उपनियम (1) के खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"(iii) स्थायी वित्त समिति (साधारण और प्रकीर्ण)";

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) अध्यक्ष का उसकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा पदेन सदस्यों को छोड़ कर, अपने में से चुना जाएगा, समिति का अध्यक्ष होगा।"

(iii) उपनियम (4) में, "(मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अतिरिक्त)" कोष्ठक और शब्दों का लोप किया जाएगा।

9. उक्त नियमों के अध्याय 3 में,—

(i) विद्यमान शीर्षक "अध्यक्ष, सचिव और वित्तीय सलाहकार की शक्तियां" के स्थान पर "अध्यक्ष और कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां" शीर्षक रखा जाएगा;

(ii) नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10. अध्यक्ष की शक्तियां :—(1) अध्यक्ष, आयोग के समुचित कार्यकरण और उसके विनिश्चयों के कार्यान्वयन और अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) ऐसे प्रत्यायोजन के, जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया जाए, अधीन रहते हुए, अध्यक्ष :—

(क) महत्वपूर्ण कागजपत्रों और मामलों को आयोग के समक्ष यथासाध्य शीघ्र पेश कराएगा;

(ख) आयोग के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पद्धति के बारे में निदेश जारी करेगा; और

(ग) आयोग की प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखेगा या रखा जाएगा।

(3) अध्यक्ष, आयोग के सभी विभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(4) अध्यक्ष आकस्मिकताओं पूर्ति और सेवाओं पर तथा आयोग के कार्यालय के कामकाज के लिए और अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के उपाय करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं के क्रय पर व्यय, बजट में आवश्यक उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मंजूर कर सकेगा।"

10. उक्त नियमों के नियम 10क, नियम 11 और नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"10क. आयोग के अधिवेशन के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य :—

(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष के साधारण नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा, जो ऐसी शक्तियां और कर्तव्य जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक समझे उसे प्रत्यायोजित कर सकेगा जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे :—

(i) अध्यक्ष के निदेश के अधीन आयोग के अधिवेशन बुलाना;

(ii) अध्यक्ष के निदेशों के अधीन प्रत्येक अधिवेशन के लिए कार्य-सूची तैयार करना और उसे आयोग के प्रत्येक सदस्य को अधिवेशन की सूचना के साथ भेजना; और

(iii) आयोग के अधिवेशन का कार्यवृत्त रखना।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयोग के सदस्यों और उनके पतों का अभिलेख रखेगा। यदि कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह अपना नया पता मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचित करेगा जो उसके पश्चात् उसका नया पता अभिलेख में प्रविष्ट करेगा। यदि सदस्य अपना नया पता सूचित करने में असफल रहता है तो शासकीय अभिलेख वाला पता, सभी प्रयोजनों के लिए सदस्य का पता समझा जाएगा।

11. आयोग के प्रशासन के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा :—

(क) आयोग के अधिकारियों और स्थापनों के कार्य का समन्वय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना;

(ख) आयोग द्वारा किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन करना;

(ग) आयोग की अभिदायी भविष्य निधि और / या साधारण भविष्य निधि का प्रशासन करना;

(घ) जहां तक उसे आयोग द्वारा समय-समय पर शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं वहां तक आकस्मिक व्ययों की मंजूरी देना;

(ङ) सहायता (जिसके अन्तर्गत अनुदान और ऋण दोनों हैं) के लिए आवेदनों की परीक्षा करना और उन्हें मंजूरी के लिए आयोग के समक्ष पेश करना; और

(च) ऐसे अन्य कर्तव्य हाथ में लेना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो आयोग या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं।

"12. वित्तीय सलाहकार की शक्तियां और कर्तव्य :— अधिनियम की धारा 5क के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वित्तीय सलाहकार निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा :—

(क) वित्तीय सलाहकार, प्राप्तियों और व्यय से संबंधित सभी मामलों के संबंध में आयोग को सलाह देगा;

(ख) वित्तीय सलाहकार, आयोग के वार्षिक बजट और अनुपूरक बजट प्राक्कलन बनाएगा या बनवाएगा, आयोग की प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखेगा या रखवाएगा, लेखाओं का विवरण तैयार करेगा या तैयार करवाएगा और आयोग की निधियों में से किए गए व्यय की, आवश्यक आंतरिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा;

(ग) वित्तीय सलाहकार को आयोग की निधियों में से व्यय अंतर्वलित करने वाली प्रत्येक प्रस्थापना पर अपने विचार संबंधित स्थायी वित्त समिति द्वारा या आयोग द्वारा ऐसी प्रस्थापना पर विचार किए जाने और उसके अनुमोदित किए जाने से पूर्व, अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(घ) वित्तीय सलाहकार को आयोग और स्थायी वित्त समितियों को यह सलाह देने का प्राधिकार होगा कि सरकार की साधारण वित्तीय नीति को प्रभावित करने वाला कोई विशिष्ट विनिश्चय, सरकार को विचारार्थ निर्देशित किया जाना चाहिए।"

11. उक्त नियमों के नियम 19 में,—

(i) उपनियम (1) में—"सचिव द्वारा" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "तैयार किए जाएंगे" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,—

"वित्तीय सलाहकार द्वारा, उपनियम (4) में नियत की गई तारीख से पर्याप्त समय पूर्व और उपनियम (6) के अनुरूप तैयार किए जाएंगे या तैयार करवाए जाएंगे।"

(ii) उपनियम 6 के खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(iii) "खादी", "ग्रामोद्योग" और "साधारण और प्रकीर्ण" के अधीन प्रस्तावित अलग-अलग व्यय जो ऐसे शीर्षों या उपशीर्षों के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा जो सरकार निर्दिष्ट करे;";

(iii) उपनियम (7) और उपनियम (8) का लोप किया जाएगा।

12. उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

25. निधियों का आयोग के व्ययनाधीन रखा जाना :— आयोग से संबंधित बजट का सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् और संसद द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग कर दिए जाने के पश्चात् सरकार; "खादी", "ग्रामोद्योग" और, "साधारण और प्रकीर्ण" की अलग-अलग निधियां आयोग के व्ययनाधीन रख देगी।"।

13. उक्त नियमों के नियम 33 के खण्ड (छ) में,—

"खादी निधि और ग्रामोद्योग निधि" शब्दों के स्थान पर "खादी निधि, ग्रामोद्योग निधि तथा साधारण और प्रकीर्ण निधि" शब्द रखे जाएंगे।

[फा०सं० 3(2)/87-खा०गा०(1)]
जी० वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम उत्पादन मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1006, तारीख 30-3-1957 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(i) भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड (iii) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1198, तारीख 24-10-1959;

(ii) भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड (iii) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं० का० आ० 4080 तारीख 18-11-1964;

(iii) अधिसूचना सं० 3(3)/86 के० वी० आई० (1), तारीख 12-9-1986।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 27th July, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 675(E).—In exercise o fthe powers conferred by section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force w.e.f. 24th July, 1987.

2. In rule 2 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) in clause (d), for the words and figure "section 6 of the Act" the words, letter brackets and figures" clause (c) of sub-section (2) of section 4" shall be substituted;

(ii) clause (g) shall be omitted.

3. For rules 3 and 4 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

"3. GEOGRAPHICAL ZONES—The six geographical zones of the country mentioned in clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act shall be as follows :—

(i) North zone Rajasthan,	States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Union Territories of Chandigarh and Delhi;
(ii) North-Eastern Zone	States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram;
(iii) Central Zone	States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh;
(iv) Eastern Zone	States of Bihar, Orissa, West Bengal and Sikkim.
(v) Western Zone	States fof Gjuarat, Maharashtra, and Goa and(the Union Territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli;
(vi) South Zone	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and Union Territory of Pondicherry.

"4. MEMBERS WHETHER TO BE FULL-TIME OR PART-TIME—Members representing geographical zones, appointed

under clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act, excepting the Chairman, shall be par-time members. Any member appointed under clause (b) thereof may be appointed by the Government either as part-time or full-time member."

4. Rule 5 of the said rules, shall be omitted.

5. For rule 7 of the said rules, the following ule shall be substituted, namely :—

"7. Salary or honoraium and allowance payable to the members—(1) The Chairman and other members (full-time and part-time) excluding the Financial Adviser and the Chief Executive Officer shall be paid such salary or honorarium and allowances from the funds of the Commission as the Government may from time to time fix.

(2) The Chairman and other members of the Commission (excluding the Financial Adviser and the Chief Executive Officer) shall also be entitled to draw travelling and daily allowance for journeys performed for attending the meeting of the Commission or for the purpose of discharging such duties as may be assigned to them by the Comission, in accordance with the rules and orders issued by the Government from time to time at the highest rate admissible to Grade I Government employees.

(3) The Chairman shall be entitled without payment of rent to the use of a furnished residence.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3) above, the Chairman or any other member of the Commission (excluding the Financial Adviser and the Chief Executive Officer), who is a member of Parliament or of the State Legislature, shall not be entitled to any remuneration other than the allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, or as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State re lating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

6. After rule 7 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"7A. POWER TO APPOINT—The Commission may appoint officers and other employees as it considers necessary for the efficient performance of its functions :

Provided that no officer and other employee whose basic pay exceeds five thousand rupees per month shall be appointed by the Commission except with the prior approval of the Central Government."

7. Rule 8 of the said rules shall be omitted.

8. In rule 9A of the said rules,—

(i) after clause (ii) of sub-rule (1), the following clause shall be inserted, namely :—

(iii) Standing Finance Committee (General and Miscellaneous)";

(ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) The Chairman or in his absence any member chosen by the members, excepting the ex-officio members, present from among themselves, shall be the Chairman of the Committee."

(iii) in sub-rule (4), the brackets and words "(other than the Chief Executive Officer)" shall be omitted.

9. In Chapter III of the said rules,—

(i) for the existing heading "Powers of the Chairman, Secretary and Financial Adviser", the heading "Powers of the Chairman and the Chief Executive Officer", shall be substituted.

(ii) for rule 10, the following rule shall be substituted, namely :—

"10. Powers of the Chairman—(1) The Chairman shall be responsible for the proper functioning of the Commission and the implementation of its decisions and discharge of its duties under the Act

(2) Subject to such delegation as may be made under the Act or rules made thereunder, the Chairman shall —

(a) cause the important papers and matters to be presented to the Commission as early as practicable;

(b) issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Commission; and

(c) maintain or cause to be maintained an account of the receipt and expenditure of the Commission.

(3) The Chairman shall exercise administrative control over all departments and officers of the Commission.

(4) The Chairman may sanction expenditure on contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Commission and for the execution of measures in furtherance of the objects of the Act, subject to necessary provisions in the budget."

10. For rules 10A, 11 and 12 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

"10A. Powers and duties of the Chief Executive Officer in regard to meetings of the Commission—(1) The Chief Executive Officer shall work under the general control of the Chairman who may delegate to him such powers and duties as the Chairman may consider necessary including the following powers and duties :

(i) convening of meetings of the Commission under the direction of the Chairman;

(ii) drawing up agenda for each meeting under the Chairman's directions and supplying the same to each member of the Commission alongwith the notice of the meeting; and

(iii) maintenance of the minutes of the meeting of the Commission.

(2) The Chief Executive Officer shall keep a record of the members of the Commission and their addresses. If a member changes his address, he shall communicate his new address to the Chief Executive Officer who shall thereupon enter his new address in the record. If the member fails to communicate his new address, the address on the official record shall for all purposes be deemed to be the member's address."

11. Powers and Duties of the Chief Executive Officer in regard to Administration of the Commission—Subject to the provisions of section 5 of the Act, the Chief Executive Officer shall exercise and perform the following powers and duties :

(a) to co-ordinate, supervise and control the work of officers and establishments of the Commission;

(b) to implement the decisions taken by the Commission;

(c) to administer the Contributory Provident Fund and/or General Provident Fund of the Commission;

(d) to sanction contingent expenditure to the extent of powers delegated to him by the Commission from time to time;

(e) to examine applications for assistance (both grants and loans) and place them before the Commission for sanction; and

(f) to undertake such other duties and exercies such other powers as may be assigned to him by the Commission or the Chairman from time to time.

"12. Powers and Duties of the Financial Adviser—Subject to the provisions of section 5A of the Act, the Financial Adviser shall exercise and perform the following powers and duties :

(a) The Financial Adviser shall advise the Commission on all matters relating to receipts and expenditure;

(b) The Financial Adviser shall frame or cause to be framed the annual budget and the supplementary budget estimates of the Commission, maintain or cause to be maintained an account of receipts and expenditure of the Commission, prepare or caues to be prepared statements of accounts and conduct or cause to be conducted necessary internal audit of the expenditure made out of the funds of the Commission;

(c) The Financial Adviser shall have the right to record his views on every proposal involving expenditure from the funds of the Commission prior to the consideration and approval of such proposal by the Standing Finance Committee or by the Commission; and

(d) The Financial Adviser shall have authority to advise the Commission and Standing Finance Committee that a particular decision affecting the general financial policy of the Government should be referred to the Government for consideration."

11. In rule 19 of the said rules,—(i) in sub-rule (1), for the words "by the Secretary or such officer as may be empowered by the Chairman in this behalf", the words "or caused to be prepared by the Financial Adviser" shall be substituted;

(ii) For clause (iii) of sub-rule (6), the following clause shall be substituted, namely;—

"(iii) the proposed expenditure separately under "Khadi," "Village Industries" and "General and Miscellaneous" classified under such heads or subheads as the Government may direct".;

(iii) Sub-rules (7) and (8) shall be omitted.

12. For rule 25 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"25. Placing the funds at the disposal of the Commission:—After the budget relating to the Commission has been approved by the Government and after due appropriation has been made by Parliament in this behalf, the Government will place the funds at the disposal of the Commission for "Khadi", "Village Industry and "General Miscellaneous" separately."

13. In rule 33 of the said rules, in clause (d), for the words "Khadi Fund and Village Industries Fund" the words "Khadi Fund, Village Industries Fund and General and Miscellaneous Fund" shall be substituted.

[F. No. 3(2)|87-KVI(I)]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

NOTE : The Principal rules were published in the Gazette of India, vide Government Notification, Ministry of Production, No. SRO 1006 dated 30-3-1957 and was subsequently amended by :—

(i) Govt. Notification No. GSR 1198 dt. 24-10-1959 published in the Gazette of India Part II Section (iii);

(ii) Govt. Notification No. SO 4080 dated 18-11-1964 published in the Gazette of India Part II Section (iii);

(iii) Notification No. 3(3)|86-KVI(I) (dated 12-9-1986.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987